UPBS010054812025

न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 बस्ती

पीठासीन अधिकारी : राम करन यादव (H.J.S.)

J.O. Code No. UP6394

प्रकीर्ण सिविल वाद सं०–218/2025

श्रीकान्त बनाम उमाशंकर आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 26 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधि प्रत्यर्थी सं० 3 हरिहर आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता।

दिनाँक 25–02–2026

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई । अपीलार्थी उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र कागज संख्या 26 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधि अपीलान्ट सं० 1/2/5 श्रीमती सरोज देवी अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है ।

आवेदकगण /अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र यह कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकीर्ण अपील में उत्तर वादी नम्बर 3 हरिहर की देहान्त 23.1.2026 को हो गया है जिनके एक मात्र कानूनी व जायज वारिस उनके लडके नीरज कुमार, निर्भय कुमार ,निर्दोष कुमार है अलावा इनके मृतक उत्तरवादी नम्बर 3 के कोई और कानूनी जायज वारिस नही है जिससे प्रकीर्ण अपील में वरासत की कार्यवाही अमल में लाते हुए निम्न परिणामवर्ती संशोधन की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना है कि उत्तर वादी नम्बर 3 हरिहर के मृत्यु के फलस्वरुपी प्रकीर्ण अपील में वरासत की कार्यवाही को अमल में लाते हुए निम्न परिणामवर्ती संशोधन की अनुमति दिया जाये–

प्रस्तावित संशोधन

1. यह कि प्रकीर्ण अपील के टाइटिल में उत्तरवादी नम्बर 3 के सामने इबारत मृतक दौरान मुकदमा दर्ज करने एवं उत्तरवादी नम्बर 3/1, 3/2,3/3 निम्न प्रकार से दर्ज करने की अनुमति दिया जाये।

3/1. नीरज कुमार आयु लगभग 35 वर्ष ।

3/2. निर्भय कुमार आयु लगभग 32 वर्ष ।

3/3. निर्दोष कुमार आयु लगभग 26 वर्ष।

पुत्रगण, हरिहर, साकिन ग्राम. नवली तप्पा कनैला परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती।

2. यह कि प्रकीर्ण अपील में दफा 13 के बाद 13 अ निम्न प्रकार से दर्ज करने की अनुमति दिया जावे।

13 अ. यह कि उत्तर वादी नम्बर 3 हरिहर का देहान्त दिनांक 23.1.2026 को हो गया है जिनके एक मात्रण कानूनी व जायज वारिस उनके लड़के नीरज कुमार ,निर्भय कुमार ,निर्दोष

Digitally signed by RAM KARAN YADAV
Date: 2026.02.28 00:54:01 CET
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कुमार क्रमशः उत्तरवादी नम्बर 3/1, 3/2, 3/3 है के अलावा इनके मृतक उत्तरवादी नम्बर 3 का कोई दूसरा कानूनी व जायज वारिस नही है।

इस मामले में प्रत्यर्थी नम्बर 3 हरिहर की मृत्यु दिनांक 21–01–2026 को हुआ है । विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन का यह प्रार्थनापत्र दिनाँक 16–02–2026 को दिया गया है। प्रार्थनापत्र विहित परिसीमा काल में दिया गया है । विपक्षी की ओर से प्रार्थनापत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रकीर्ण सिविल अपील की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मृतक प्रत्यर्थी नम्बर 3 हरिहर के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लाने और उसके नाम के आगे मृतक लिखने और मृत्यु के संबंध में संशोधन करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है । अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 26 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधिगण मृतक प्रत्यर्थी नम्बर 3 हरिहर स्वीकार किया जाता है । संशोधन 7 दिन में हो। प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी हो । पैरबी उभय प्रकार से सात दिन में की जाये। पत्रावली दिनाँक 19.03.2026 को वास्ते सुनवाई पेश हो ।

दिनाँक 25.02.2026

(राम करन यादव)
J.O. Code–U.P.6394
द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश
जनपद बस्ती।